[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या1/2021-प्रतिपूर्ति उपकर (दर)

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. ...... (अ). - माल एवं सेवाकर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 (2017 का 15) की धारा 8 की उपधारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार,परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017-प्रतिपूर्ति उपकर (दर) दिनांक 28 जून, 2017,जिसे सा.का.नि. 720(अ), दिनांक 28 जून, 2017,के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया था, में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में,क्रमांक 4क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, यथा: -

“4ख	2202	फल रस का कार्बोनेटेड बिवरेज या फल रसयुक्तकार्बोनेटेड बिवरेज|	12%";

2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर 2021 से लागू होगी।

[फा.स.190354/206/2021-टीआरयू]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोटः प्रधानअधिसूचना सं.1/2017-प्रतिपूर्ति उपकर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, को सा.का.नि. 720 (अ) दिनाँक 28 जून, 2017, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II , खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 2/2019- प्रतिपूर्ति उपकर (दर), दिनाँक 30 सितम्बर,2019, जिसे सा.का.नि. 707 (अ), दिनाँक 30 सितम्बर, 2019, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशितकिया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।